शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 244.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 1997, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, इंजीनियर अधिकारी (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2000 जहां तक वे सलाहकार (परिवहन और संचार) और सहायक इंजीनियर (सिविल), इंजीनियर अधिकारी (सिविल)/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पदों के संबंध में है का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता .—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1	2	3	4	5	6
3. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	03* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 10,000-325-15,200	प्रवरण	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष

11	12
33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा और	**प्रोन्नति** (क) ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्रीधारी
66.67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/आमेलन द्वारा	(ख) ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी। **नोट :** जिन मामलों में अर्हता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अर्हक सेवा, निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)** केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो— (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री; (ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सहित सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव **नोट 1 :** विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **नोट 2 :** केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **नोट 3 :** केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

13		14
वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए)		पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	
2. सविच; पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	सदस्य	
3. उप सचिव या निदेशक (प्रशा.), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय	सदस्य	

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Advisers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 1997, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Engineer Officer (Civil) and Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Adviser (Transport and Communication) and Assistant Engineer (Civil), Engineer Officer (Civil),/Executive Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Transport and Communication), Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Civil) and Assisstant Engineer (Civil) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong., namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of Post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Ex-servicemen other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Executive Engineer (Civil)	03* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

11	12
33.33 per cent by promotion failing which by deputation including short term contract; and 66.67 per cent deputation (including short-term contract)/absorption	**Promotion :** (a) Assistant Engineer (Civil) with eight years' regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute or equivalent. (b) Assistant Engineer (Civil) with eleven years' regular service in the grade and possessing three years' Diploma in Civil Engineering from a recognized University/Institute or equivalent. **Note :**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years' whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments/Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13,500 or equivalent in the parent cadre Department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent. (ii) Five years' experience in execution/construction of civil works including hill roads. **Note 1 :**—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :**—Period of deputation or contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications). **Note 3 :**—Only officers belonging to Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption.

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member 3. Deputy Secretary or Director (Administration) North Eastern Council Secretariat —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.